संख्या-108/2022/2505/22-2-2021-17(961)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कृष्णपाल पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कृष्णपाल पुत्र श्री ओमप्रकाश, जो ग्राम-खेडी राजपूतान, थाना-खतौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी कृष्णपाल दहेज के कारण अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता था। दिनांक 07.05.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी राजबाला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1149/2003, में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-11 मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 03.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2021 तक 18 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 10 माह, 14 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुज्फ्फरनगर द्वारा बंदी के पुन: अपराध किये जाने, दोनो परिवारों में मनमुटाव होने तथा पास पड़ोस में नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी की उम्र (46)वर्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुज्फ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओ पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझें यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कृष्णपाल (बन्दी संख्या-12513) पुत्र ओमप्रकाश, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-108/2022/2505(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।